

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

प्रा०पत्र सं०
12/21

अध्याशित:- श्री ओमप्रकाश सहारण आर०ए०एस
दायर दिनांक
20.12.21

निर्णय दिनांक
23.2.22

उनवान

1. नोतन कुमार पुत्र श्री तेजूमल आयु 84 साल जाति सिन्धी निवासी ईस्माइलपुर तह०
किशनगढबास जिला अलवर राज० हाल आबाद मकान नं० 159 सिन्धी कॉलोनी राजापार्क
वार्ड नं० 32 जयपुर, राज० ।

:—प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान स्टेट जर्जे श्रीमान तहसीलदार पैरोकार सरकार किशनगढबास जिला अलवर
राज०

:—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

उपस्थिति:- श्री रतिराम चौधरी वकील प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:-


वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख० नं० 1314
रकबा 0.2400 हे० किस्म ढहरी, 1317 रकबा 0.2200 हे० किस्म ढहरी, 1326 रकबा 0.1900
हे० किस्म चाही, 1328 रकबा 0.2700 हे० किस्म चाही जाव, 1331/3517 रकबा 0.1400 हे०
किस्म चाही, 1332/3519 रकबा 0.1400 हे० किस्म चाही, 1333 रकबा 0.2200 हे० किस्म
चाही, 1334 रकबा 0.1600 हे० किस्म चाही, 1335 रकबा 0.1100 हे० किस्म चाही, 1337
रकबा 0.2300 हे० किस्म चाही, 1338 रकबा 0.1300 हे० किस्म चाही, 1372 रकबा 0.1400
हे० किस्म चाही, 1373 रकबा 0.0400 हे० किस्म चाही, 3701/488 रकबा 0.3000 हे० किस्म
चाही, 490 रकबा 0.3800 हे० किस्म चाही, 491 रकबा 0.1800 हे० किस्म जाव प्रथम कुल
ख० 16 कुल रकबा 3.0900 हे० स्थित वाके ग्राम ईस्माइलपुर तहसील किशनगढ-बास जिला

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अलवर राज0 प्रार्थी नोतन कुमार के पूर्वज पिता स्व0 श्री तेजूमल पुत्र आसनमल को विस्थापित परिवार के होने से अलौटमेन्ट की आराजी है । जिसकी कीमत खर्चा, सरकारी खजाने में जमाकर प्रार्थी व स्व0 पिता तेजूमल ने खातेदारी अधिकार हासिल कर काश्त व बो दरोग करते आ रहे हैं । मौका पर प्रार्थी नोतन कुमार का कब्जा काश्त है ।

प्रार्थी कि विरासत का भी नामान्तरण सं0 2496 सन् 1997 ग्राम पंचायत में दर्ज व मंजूर हो चुका है । जिस इन्तकाल विरासत के आधार पर जमाबन्दी चौसाला में प्रार्थी के नाम का इन्द्राज बतौर खातेदार दर्ज व मंजूर करते समय प्रार्थी के नाम को नोतन कुमार के स्थान पर नोतन दास सहवन भूल से गलत दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी के मृतक पिता तेजूमल की बजाय तेजूराम गलत दर्ज कर दिया । बाकि विरासत के भागीदार वारिसान का नाम सही दर्ज है । चूंकि प्रार्थी नोतन कुमार व उनके मृतक पिता स्व0 श्री तेजूमल का नाम सहवन से गलत दर्ज हो जाने से उसके आधार पर कायमशुदा जमाबन्दीयो मे भी तदानुसार गलत नामो का इन्द्राज साबिक व वर्तमान जमाबन्दीयो में पुनरावृत्ति होती चली आ रही है । जिस गलत अंकन से जमाबन्दी व अन्य भू-अभिलेखादि में प्रार्थी नोतन कुमार व स्व0 पिता तेजूराम व कही- कही पर नोतनदास उर्फ नोतनकुमार तथा तेजूमल व तेजूराम, तेजूदास के नाम का गलत इन्द्राज चला आ रहा है जो कायम रहने से प्रार्थी को विधि विरुद्ध इन्द्राज का भारी आर्थिक व मानसिक नुकसान व अपूर्तनीय क्षति हो रही है तथा प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभान्श प्राप्त करने से महरूम हो रहा है । उपरोक्त गलत अंकन को हजफ कर सही इन्द्राज कर दुरुस्ती किया जावे । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नारा 136 भू- राजस्व अधिनियम काबिज स्वीकार है । स्वीकार कर गलत इन्द्राजात दुरुस्त फरमाया जावे ।

प्रार्थी का वास्तविक नाम नोतन कुमार है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड में भी प्रार्थी का नाम नोतन दर्ज है । जबकि आराजी ख0 सं0 1314 रकबा 0.2400 हे0 किस्म ढहरी, 1317 रकबा 0.2200 हे0 किस्म ढहेरी , 1326 रकबा 0.1900 हे0 किस्म चाही, 1328 रकबा 0.2700 हे0 किस्म चाही जाव, 1331/3517 रकबा 0.1400 हे0 किस्म चाही, 1332/3519 रकबा 0.1400 हे0 किस्म चाही, 1333 रकबा 0.2200 हे0 किस्म चाही, 1334 रकबा 0.1600 हे0 किस्म चाही, 1335 रकबा 0.1100 हे0 किस्म चाही, 1337 रकबा 0.2300 हे0 किस्म चाही , 1338 रकबा 0.1300 हे0 किस्म चाही, 1372 रकबा 0.1400 हे0 किस्म चाही, 1373 रकबा 0.0400 हे0 किस्म चाही, 3701/488 रकबा 0.3000 हे0 किस्म चाही, 490 रकबा 0.3800 हे0 किस्म चाही , 491 रकबा 0.1800 हे0 किस्म जाव प्रथम कुल ख0 16 कुल रकबा 3.0900 हे0 स्थित वाके ग्राम ईस्माइलपुर तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर राज0 में स्थित है । जिन आराजीयात उपरोक्त की जमाबन्दीयात हाल व उसके बाद कायम जमाबन्दीयात में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम नोतन कुमार पुत्र स्व0 श्री तेजूमल के नाम का इन्द्राज फरमाया जावे । प्रार्थी का नाम वर्तमान भू-अभिलेखादि में जो गलत इन्द्राज दर्ज है उसे दुरुस्त करने की सादिर आज्ञा फरमायी जावे ।



उपसभ्य अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ओर ना ही जवाब प्रस्तुत किया वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता सं० 371 में प्रार्थी का नाम नोतनदास

उर्फ नोतन कुमार पुत्र तेजमल दर्ज है। लेकिन खाता सं० 372 में नोतनदास पुत्र तेजूराम दर्ज है। नामांतरण सं० 2496 में प्रार्थी के पिता का नाम तेजूमल पुत्र आसनदास है। इसी तरह जमाबंदी संवत् 2029 में तेजूमल पुत्र आसनदास दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2014 में भी प्रार्थी के पिता का नाम तेजूमल पुत्र आसनदास दर्ज है। जमाबंदीयात से साबित है कि प्रार्थी का सही नाम नोतन कुमार पुत्र तेजूमल है। तथा प्रार्थी के पिता का नाम तेजूराम के स्थान पर तेजूमल किया जाना सही प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख० सं० 1314 रकबा 0.2400 हे० किस्म ढहरी, 1317 रकबा 0.2200 हे० किस्म ढहरी, 1326 रकबा 0.1900 हे० किस्म चाही, 1328 रकबा 0.2700 हे० किस्म चाही जाव, 1331/3517 रकबा 0.1400 हे० किस्म चाही, 1332/3519 रकबा 0.1400 हे० किस्म चाही, 1333 रकबा 0.2200 हे० किस्म चाही, 1334 रकबा 0.1600 हे० किस्म चाही, 1335 रकबा 0.1100 हे० किस्म चाही, 1337 रकबा 0.2300 हे० किस्म चाही, 1338 रकबा 0.1300 हे० किस्म चाही, 1372 रकबा 0.1400 हे० किस्म चाही, 1373 रकबा 0.0400 हे० किस्म चाही, 3701/488 रकबा 0.3000 हे० किस्म चाही, 490 रकबा 0.3800 हे० किस्म चाही, 491 रकबा 0.1800 हे० किस्म जाव प्रथम कुल ख० 16 कुल रकबा 3.0900 हे० वाके ग्राम ईस्माईपुर तहसील किशनगढबास में प्रार्थी का नाम नोतनदास पुत्र तेजूराम के स्थान पर नोतनकुमार पुत्र तेजूमल किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
किशनगढबास (अलवर)